27.3.23 उभयपक्ष की ओर से हाजरी दी गयी।

आदेश

अभिलेख प्रतिवादी तृतीय पक्ष सं0- 6,7 की ओर से दाखिल का आवेदन तथा वादीगण की ओर से दाखिल प्रतिउत्तर दिनांक-16.1.23 पर सुनवाई पश्चात आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया।

Conf.

13/02/23

27-3-23 Cont.

अपने आवेदन में प्रतिवादी गण ने निवेदन किया है कि प्रस्तुत वाद में मुकदमा के छः साल बीत जाने के पश्चात वादी की ओर से अपने अभिकथन के समर्थन में कूटरचीत मृत्यु प्रमाण पत्र का निर्माण कराया गया है जो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। यह कि नारायण महतो की मृत्यु तिथि 16.3.1972 से संबंधित मृत्यु प्रमाण पत्र वादी के द्वारा ग्राम पंचायत मदुआबाद के रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु को अपने मेल व प्रभाव में लाकर तैयार कराया गया है जो कि मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने से संबंधित प्रक्रिया को अंदेखी कर जाली व कूटरचीत ढंग से पंचायत सचिव मदुआबाद के द्वारा तैयार किया गया है जो संदिग्ध है अतः निवेदन है कि मृत्यु प्रमाण पत्र जो बिना प्रतिकूलक प्रमाण के दाखिल किया गया है उसे साक्ष्य में अस्वीकृत किया जाय एवं आवश्यक आदेश पारित किया जाना जरूरी है।

अपने प्रतिउत्तर में वादी गण द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रतिवादी ने अपने आवेदन की कंडिका-5 में कहा है कि वाद के लंबित रहते हुए तैयार कराये गए किसी भी प्रमाण पत्र को संदिग्ध माना जाता है। उक्त संबंध में कहना है कि पक्षकार की मृत्यु वाद के दरम्यान होती है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र मुकदमे के लंबित रहने के दौरान नहीं बनेगा और मैं मृत किसी लंबित मृत्यु प्रमाण पत्र आदि उपलब्ध नहीं है

Cont.

PS-29/15

3.23 तो उक्त वाद के दौरान नहीं प्राप्त करना होगा। नारायण स्वामी का मृत्यु प्रमाण पत्र को यदि प्रतिवादी के द्वारा गलत होना बताया जाता है तो इसकी जिम्मेदारी प्रतिवादी की है कि वह प्रमाणित करें कि उक्त प्रमाण पत्र कूटरचित है। जहां तक मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने संबंधी प्रक्रिया का प्रश्न है तब यह प्रमाण पत्र भी प्रक्रिया अनुसार ही निर्गत हुआ है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक- 2.1.23 को हर्जा सहित खारिज करने की कृपा की जाये।

उभयपक्षों को सुना एवं अभिलेख तथा अभिलेख पर उपलब्ध वादी की ओर से दाखिल नारायण स्वामी के मृत्यु प्रमाण पत्र का अवलोकन किया जिसके अवलोकन से प्रतीत होता है कि उक्त मृत्यु प्रमाण पत्र में मृतक नारायण स्वामी के मृत्यु की तिथि 16.3.1972 दर्शायी गयी है तथा उसका पंजीकरण दिनांक- 19.7.21 को अंकित कर पंचायत सचिव एवं ग्राम पंचायत राम मदुदाबाद द्वारा दिनांक 19.7.21 को जारी की गई है। जबकि वादी ने अपने अभिवचन में राम नारायण स्वामी के द्वारा दिनांक- 31.1.1973 का एक विक्रय विलेख निष्पादित किये जाने के संबंध में उल्लेख किया है।

क्रम.

PS-29/15

27.3.23
·Cont.

तथा प्रतिवादी ने अपने प्रतिवाद पत्र में उक्त विक्रय विलेख को ही आधार बनाकर अपना दावा प्रस्तुत किये है। ~~अतः उक्त~~

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में विवादित मृत्यु प्रमाण पत्र के संबंध में जब तक पंचायत सचिव महुदाबाद का प्रतिवेदन नहीं आ जाता है तब तक विवादित मृत्यु प्रमाण पत्र के संबंध में कोई युक्त-युक्त निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

~~अतैव~~ अतः प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक- 2.1.2023 को निस्तारित किया जाता है तथा कार्यालय लिपिक पंचायत सचिव महुदाबाद को नारायण साह्नी के मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र निर्गत करें। वादी को निर्देश दिया जाता है कि अगले निश्चित तिथि को बिना आलस्यता के साक्ष्य प्रस्तुत करें।

तिथि- 17.4.23 वास्ते वादी साक्ष्य। [signature]